कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 19

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क. वसूलियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	18.23	191.90	210.13	22.76	208.75	231.51	21.76	209.92	231.68	22.90	219.88	242.78
	पूंजी	***2.15***	*16.93*	*19.08*	*1.24*	*22.50*	*23.74*	*1.24*	*19.00*	*20.24*	*1.10*	*28.00*	*29.10*
	जोड़	**20.38**	**208.83**	**229.21**	**24.00**	**231.25**	**255.25**	**23.00**	**228.92**	**251.92**	**24.00**	**247.88**	**271.88**
1. सविचालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	112.82	112.82	...	119.20	119.20	...	120.62	120.62	...	129.21	129.21
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
2. संयुक्त स्टाक कंपनी पंजीयक	3475	...	33.19	33.19	...	35.84	35.84	...	36.85	36.85	...	35.67	35.67
3. कंपनी अधिनियम तथा क्षेत्रीय निदेशकों के तहत शासकीय परिसमापक	3475	...	28.21	28.21	...	29.04	29.04	...	32.55	32.55	...	31.74	31.74
4. अन्य व्यय	3475	...	17.68	17.68	...	24.67	24.67	...	19.90	19.90	...	23.26	23.26
	5475	...	16.93	16.93	...	22.50	22.50	...	19.00	19.00	...	28.00	28.00
	जोड़	*...*	*34.61*	*34.61*	*...*	*47.17*	*47.17*	*...*	*38.90*	*38.90*	*...*	*51.26*	*51.26*
5. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	3475	18.23	...	18.23	22.76	...	22.76	21.76	...	21.76	18.90	...	18.90
	5475	2.15	...	2.15	1.24	...	1.24	1.24	...	1.24	0.10	...	0.10
	जोड़	*20.38*	*...*	*20.38*	*24.00*	*...*	*24.00*	*23.00*	*...*	*23.00*	*19.00*	*...*	*19.00*
6. कार्पोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
	5475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*5.00*	*...*	*5.00*
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**20.38**	**96.01**	**116.39**	**24.00**	**112.05**	**136.05**	**23.00**	**108.30**	**131.30**	**24.00**	**118.67**	**142.67**
कुल जोड़		***20.38***	***208.83***	***229.21***	***24.00***	***231.25***	***255.25***	***23.00***	***228.92***	***251.92***	***24.00***	***247.88***	***271.88***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	20.38	...	20.38	24.00	...	24.00	23.00	...	23.00	19.00	...	19.00
जोड़		**20.38**	**...**	**20.38**	**24.00**	**...**	**24.00**	**23.00**	**...**	**23.00**	**24.00**	**...**	**24.00**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ), क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा आईईपीएफ के अंतर्गत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए21) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सामान्य अनुदान सहायता तथा वेतन अनुदान सहायता आदि।

2. **कंपनी रजिस्ट्रार-कम-शासकीय समापक तथा कंपनी रजिस्ट्रार:** विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-कम-शासकीय समापक तथा कंपनी रजिस्ट्रार पर व्यय के लिए प्रावधान। इनका प्रमुख कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक विवरणी, तुलन पत्रों और अन्य दस्तावेजों की जांच करना है तथा इस जांच के परिणामस्वरूप पायी जाने वाली अनियमितताओं और गैर-अनुपालन पर आवश्यक कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-कम-शासकीय समापक कार्यालय उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं और अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी हैं।

3.01. **शासकीय समापक:** कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार शासकीय समापकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

3.02. **नोएडा स्थित महानिदेशक, कारपोरेट कार्य सहित क्षेत्रीय निदेशक:** महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर में सभी फील्ड कार्यालयों के बीच संपर्क बनाने की है। क्षेत्रीय निदेशक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-कम-शासकीय समापक, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापकों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्राधिकरण, विशेष न्यायालयों और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

4. **अन्य व्यय:** कंपनी विधि बोर्ड, गभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण कार्यालयों पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान।

5. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) (योजना स्कीम):** समाभिरूपित ज्ञान प्रबंधन, भागीदारी और वन-स्टॉप-शॉप-मोड समस्या समाधान के माध्यम से कारपोरेट विकास, सुधारों और विनियमन में सहायता हेतु एक समग्र विचारक मंडल, क्षमतानिर्माण एवं सेवासुपुर्दगी संस्थान के रूप मे कार्य करना।

6. **कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) (योजना स्कीम):** कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन स्कीम मंत्रालय के कारपोरेट रजिस्ट्री में दायर सूचना के वृहत निक्षेप के प्रभावी प्रयोग के लिए मंत्रालय में आंतरिक डेटा माइनिंग और विश्लेषण सुविधा तैयार करने का प्रयास है। सभी शेयरधारकों को अधिक पहुंच योग्य रीति से प्रमाणिक और स्वच्छ आंकड़ा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस सुविधा का लक्ष्य मंत्रालय और सरकार के भीतर और बाहर के अन्य नीति और निर्णय निर्माण एजेंसियों को संगठित और सुगठित रीति से सूचना उपलब्ध कराना है।